

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri **INDUDHAR BALRAS** I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Devprayag** Block area measuring **1.4875 Hectare** for the construction of **Lingwana Saoruranital Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Devprayag** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

Dated - 17/12/16

*Cclor*  
**(इन्दुधर बौद्धाई)**  
District Collector Cum chairman

**टिहरी गढ़वाल।**  
District Tehri Garhwal  
New Tehri

प्रारूप सं 30

## FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 986 / XVII - 100 (2015-16)

Dated ..... 28/12/2015

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settlelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4875 **hact.** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar for Construction of Lingwana Sauru to Ranital Motor Road in Tehri Garhwal District** falls within jurisdiction of Lingwana, Sauru, Ranital & Moltha Villages in Devprayag tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for indentification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.4875 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(ज्योति नीरज खैरवाल)

Chilai Adikari

(टिहरी गढ़वाल )

Distt. Collector

प्राप्ति 30

३५

३५

It is further certified that – Minutes of meeting of Lingwana to saoru, ranital to moltha Motor Road ( 4.350 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1, 4275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Maletha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Jhanau (Jurana) have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

21m  
जिला पंचायत सदस्य  
ठिहरी गढ़वाल

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग उप वन प्रभाग  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरती

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनि.को.-रही  
मुनिकीरती

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनि.को.-रही  
मुनिकीरती

Signature  
(ज्योति नीरज रही  
जिलाधिकारी  
ठिहरी गढ़वाल)

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौङ्ग-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई ४.३५० किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिषेत्र के अन्तर्गत कीर्तिनगर के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौङ्ग-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण (०.०१७५ हेक्टेक्टर आरक्षित वन भूमि, १.४७० हेक्टेक्टर सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल १.४८७५ हेक्टेक्टर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कीर्तिनगर) की दिनांक ०१/०९/१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

१-	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
२-	श्री डी०सी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
३-	श्री विमोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
४-	श्रीभती सुनीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

सु-मितादेवी


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि लिंगवाणा से सौङ्ग-रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु १.४८७५ हेक्टेक्टर वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवधुपाग**

उप वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित

जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्हा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.4875 हेए वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
**उप जिलाधिकारी**  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—.....

जनपद .....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, **ठिंडरी गढ़वाल** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।





  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—.....  
**उप जिलाधिकारी**  
ठिंडरी, गढ़वाल.....

जनपद **ठिंडरी गढ़वाल**

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू-रानीताल मोल्टा  
मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.350 कि०मी०)

दिनांक ०१-०९-२०१५ उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
जनपद-

1.	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी बीरितगर, टिहरी गढ़वाल
2.	श्री डॉ पी० ठलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी (संभाग)
3.	श्री विनोद कुमार अनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
4.	श्री मर्टि सुनीता देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र सुनीता देवी	सदस्य	 सुनीता देवी सुनीता देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य कार्यालय दिं० छ०-देवप्रदाम (हि० ५०)

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौइ-शनीताल मोल्हा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र<sup>1</sup>  
ग्राम पंचायत का नाम- तोली चन्द्रबद्धनी (लिंगवाणा)  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लिंगवाणा-सौइ-शनीताल-मोल्हा मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.0175 हेक्टेएक्ट आरक्षित वन भूमि, 1.470 हेक्टेएक्ट सिविल वन भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हेक्टेएक्ट वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली-चन्द्रबद्धनी(लिंगवाणा)द्वारा दिनांक 24/8/2015 को सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तोली-चन्द्रबद्धनी(लिंगवाणा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत/विकास आधिकार  
विवरण बण्ड देवप्रयाग  
लि. टिहरी गढ़वाल



दिनांक २४/८/२०/१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत- तोली चन्द्रबद्धी (लिंगवाणा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	TILOK Singh	तिलोक सिंह
2	पद्म सिंह	पद्म सिंह
3	Ram	राम
4	माहेश भट्ट	माहेश भट्ट
5	Moham Lal	Moham Lal
6	AJAY SINGH	AJAY
7	प्रताप लिंग चुरा लिंगचुरा	प्रताप लिंग
8	द्वारा जह के पूजा लिंगचुरा	D. SIK
9	Jaipal Singh Kaintur	Kaintur
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	मातार सिंह	मातार सिंह



परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लिंगवाणा-सौंदू - शनीतलाल प्रोल्ड भौट्ट मार्ग का नव निर्गम।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र<sup>1</sup>  
ग्राम पंचायत का नाम— धालनी (भौल्ड)

तहसील देवप्रधान जिला टिहरी गढ़वाल


### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत लिंगवाणा-सौंदू रानीतल-भौल्ड मोट्ट मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.0175 हेक्टेएक्ट आरक्षित वन भूमि, 1.470 हेक्टेएक्ट सिविल वन भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हेक्टेएक्ट वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धालनी (भौल्ड) द्वारा दिनांक 27/8/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धालनी (भौल्ड) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत धालनी  
विकास खण्ड देवप्रधान  
जिला टिहरी गढ़वाल


Soni

दिनांक 27/8/2015

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत - व्यालनी (सौल्हा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Ram Singh	Ram Singh
(2)	लक्ष्मी	लक्ष्मी
(3)	मकानी देवी	मकानी देवी
(4)	बिनीता	बिनीता
(5)	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(6)	मुनीता देवी	मुनीता देवी
(7)	Reshma Debi	Reshma Debi
(8)	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(9)	गुड़ा देवी	गुड़ा देवी
(10)	मजू देवी	मजू देवी
11	रामपा ११	रामपा ११
12	बिनीता देवी	बिनीता देवी
13	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
14	मधुरा	मधुरा
15	मनदु देवी	मनदु देवी
16	रघुमन लाल	रघुमन लाल
17	साबा	साबा
18	मोदी	मोदी

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत लिंग  
विकास खण्ड इकाई  
जिला टिहरी गढ़वाल



## प्रपत्र— 30.3

परियोजना का नाम :-

राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू—रानीताल मोल्ठा  
मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — पबेला (भद्रासू)

तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौडू—रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (0.0175 हेक्टेएक्ट वन भूमि, 1.470 हेक्टेएक्ट सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.4875 हेक्टेएक्ट वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पबेला (भद्रासू) द्वारा दिनांक 27.08.2015 को सन्ध्यन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भद्रासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



दिनांक २७-०८-२०१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - पबेला (मद्रासू)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	सुंगीता देवी ८/० जी भाष्करचंद्र	सुंगीता देवी
②	किनारा चतुर गुण ८/० देवेन्द्र अर्हट	किनारा
३	विकारा चतुर महेश ८/० स्वर्ग गजेन्द्र	विकारा
४	भृषेन्द्र भट्ट ८/० जी बालेन्द्र अर्हट	भृषेन्द्र भट्ट
(5)	जीमती शुश्रीला देवी ८/० स्वर्ग नृष्णगावी	शुश्रीला जीमती
(6)	श्रीमती दुर्गेश्वरी देवी ८/०	श्रीमती दुर्गेश्वरी देवी
(7)	श्रीमती सुबोधनी देवी ८/० जी विष्णुप्रसाद अर्हट	श्रीमती सुबोधनी देवी
(8)	जीमती सुमित्रा देवी ८/० स्वर्ग जगदीश अर्हट	सुमित्रा जीमती
(9)	जीआनिल चन्द्र अर्हट ८/० स्वर्ग जगदीश	आनिल जी चन्द्र
(10)	जी श्रीकारोम ८/० स्वर्ग जगदीश	श्रीकारोम जी
(11)	जी मणिराम ८/० स्वर्ग सत्यप्रसाद	मणिराम जी

